>

Title: Need to give land ownership rights to the peole of Uttrakhand living in forest areas.

**श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़ा होने की वजह से पहले लोग बच्चों और मवेशियों को लेकर नीचे के मैदान तराई-भामर में उतर जाते थे और अब वे वहीं बस गए हैं, कहीं 50,000, कहीं 14,000 और कहीं 20,000 लोग हैं । इनमें बिन्दुखत्ता, दमुवाढुंगा, बग्घा-54, हंसपुर खत्ता, तुनीखाल खत्ता, होरई खत्ता, जैलासाल खत्ता, रैखाल खत्ता, रंजना गोठ, गंगापुर गोठ, पीला पानी खत्ता, रामपुर टौंग्या, ग्राम टेड़ा खत्ता, कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्थित आम डण्डा खत्ता एवं रिंगौड़ा खत्ता समेत कार्बट टाइगर पार्क के इर्द-गिर्द 5 खत्ते और दो टोंगिया ग्राम एवं 12 वन ग्राम आजादी से पहले से ही बसे हैं ।

सितारगंज में लौका, गोठा, बनकुईयां, फिरोजपुर, बस गड़, पीपली, अरविन्द नगर के ढाई नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर एवं झाड़ी नं 9, इतने गांव बसे हैं । इनको हम बिजली और पानी देते हैं तथा इनको चिकित्सालय भी दे रखा है । लेकिन वन भूमि होने के कारण ये लौन नहीं ले सकते हैं, 1927 के वन अधिनियम के कारण शौचालय तक नहीं बना सकते हैं । मैं समझता हूं कि उत्तराखंड समेत देश में भी ऐसे भाग हो सकते हैं । इसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए ताकि उनको वन भूमि में मालिकाना हक मिले और हक मिलने के साथ-साथ सरकार को राजस्व भी मिले । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि अतिशीघ्र केंद्र सरकार इसके लिए नीति बनाकर राज्यों को डायरेक्शन दे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सुनील कुमार सिंह को श्री अजय भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।